*दबावग्रस्त आस्तियों का निवारण: अंतिम अवस्था की तरफ**

उर्जित आर. पटेल

1. माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी, आईबीबीआई के अध्यक्ष डॉ. साहू; नेशनल फाउन्डेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री चन्द्रजीत बनर्जी, देवियो और सज्जनो। सबसे पहले तो मैं आयोजकों यथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की सराहना करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऐसे अहम विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया। विगत कुछ वर्षों में लगातार उच्च अनुपातों को देखें तो बैंकिंग प्रणाली का सकल एनपीए अनुपात 12 प्रतिशत पर चल रहा है, जो वस्तुत: चिन्ता का विषय है। इस जीएनपीए का 86.5 प्रतिशत बड़े कर्जदारों के पास है, अर्थात ऐसे कर्जदार जिनके पास 5 करोड़ और अधिक की रकम फंसी हुई है। जब इसे कुछ बैंकों, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी की स्थिति के समक्ष देखें, तो इस समस्या से निपटने की चुनौती और भी बढ़ जाती है।

2. बैंक के तुलनपत्र को विघ्न रहित करने और पूँजी के कुशल पुन: आबंटन के लिए दबावग्रस्त आस्तियों का सहज,समयबद्ध निराकरण या नकदीकरण काफी महत्वपूर्ण होगा। बहु आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इस चुनौती का सम्यक रूप से सामना करने के लिए सरकार, आईबीबीआई और रिज़र्व बैंक एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। इस संक्षिप्त चर्चा के दौरान मेरा आशय है कि इस सम्मिलित दृष्टिकोण के प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालूँ और इसमें निहित विचारधारा के बारे में बताऊँ।

3. कानूनी, विनियामक, पर्यवेक्षी और संस्थागत विधान को प्रबल बनाने के लिए पिछले कुछ माह के दौरान सरकार और रिज़र्व बैंक दोनों ने जो विशिष्ट उपाय किए हैं, उनका अंतिम उद्देश्य समयबद्ध तरीके से दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र निवारण में सुविधा प्रदान करना है। इन उपायों में शीघ्रता की जो भावना निहित है वह इस प्रवृत्ति में परिलक्षित होती है कि कार्य को बहुत आगे तक नहीं खींचा जाए।इन उपयों में अन्य बातों के साथ-साथ पहले के विधान की दो प्रमुख खामियों को हटाया गया है- पहली यह कि निवारण के लिए स्पष्ट-संहित, समय बद्ध अवधि का नहीं होना; और दूसरी यह कि व्यावहारिक पुनर्संरचना योजनाओं को आगे-बढ़ाने के लिए बैंकों और ज्वाइंट लैन्डर्स फोरम्स(जेएलएफ) में समन्वय की विफलता।

I. कानूनी विधान को प्रबल बनाना

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता,2016 (आईबीसी) का पारित होना हमारे देश में क्रेडिट संस्कृति में सुधार की दिशा में एक विभाजक है। आईबीसी से पहले भारत में दिवाला प्रक्रिया और /अथवा कार्पोरेट बचाव के विभिन्न पक्षों को नियंत्रित करने के लिए बहुविध कानून हुआ करते थे, जिसमें सम्यक कानूनी विधान नहीं था जो संकटग्रस्त अथवा चूककर्ता कम्पनियों के लिए अनुमेय एक सर्वांगीण प्रक्रिया बताता हो। आईबीसी में उद्यमिता संवर्द्धन पर विशेष रूप से ज़ोर देते हुए, आस्तियों के मूल्य को अधिक करने और सभी हिस्सेदारों के हितों को संतुलित करते हुए किसी आस्ति के निवारण की समयबद्ध प्रक्रिया की एकल विन्डो प्रदान की गई है।

5. एक ऋणदाता के लिए अधिकांश मामलों में कोई आस्ति तब अधिक मूल्यवत्ता रखती है जब यह व्यवसाय में लगी हो और पर्याप्त नकदी प्रवाह का सृजन करे,बजाय इसके कि वह आस्ति जो दिवाला प्रक्रिया में पड़ी हो । आईबीसी में 180 दिन की समय सीमा बाँध दी गई है (जिसे और आगे 90 दिन बढ़ाया जा सकता है) और इसी अवधि में ऋणदाता को निवारण योजना के लिए सहमति देनी होगी,इसमें विफल रहने पर इस कानून के तहत न्यायनिर्णयकर्ता प्राधिकरण शोधन-अक्षम कम्पनी पर नकदीकरण आदेश पारित कर देगा। समग्र रूप से ऋणदाताओं के लिए परिसमापन की जो आशंका बड़ी हानियों का कारण बन सकती है,वह न बने इसके लिए शीघ्रता से किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए ऋणशोधन निवारण अवधि के दौरान सही परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रोत्साहन होते हैं।

6. प्रवर्तक के लिए आईबीसी के तहत लाए जाने का सबसे बड़ा झटका यह हो सकता है कि उसे अपनी फर्म किसी सक्षम बोली-लगाने वाले को सौंपनी पड़ जाए। इस फर्म को यह ध्यान

* उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 2017 को मुंबई में ''दिवाला और शोधन अक्षमताः बदलते प्रतिमान पर राष्ट्रीय सम्मेलन'' के उद्घाटन सत्र में दिया गया भाषण।

रखना होगा कि वह चूक नहीं करें और सबसे बड़ी बात कि ज्यादा कर्ज नहीं ले। इससे देश में क्रेडिट संस्कृति की प्रत्याशा बढ़ेगी।

अब हम बैंकिंग विनियमन (संशोधक) अध्यादेश की तरफ आते हैं, यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री महोदय के विशिष्ट नेतृत्व में पारित हो चुका है।

7. एनपीए समस्या के आकार और प्रवृत्ति ने सहवर्ती उपायों का किया जाना जरूरी बना दिया ताकि इस चुनौती का व्यवस्थित रूप से सामना करने में सरकार और रिज़र्व बैंक की मंशा और प्रतिबद्धता का संकेत दिया जा सके। आईबीसी तो आ चुका था लेकिन बड़े दबावग्रस्त खातों के संबंध में बैंकों और JLF की तरफ से अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आ रही थी। इस आलस्य का कुछ हिस्सा आईबीसी के आरंभिक दिनों को गया तो इसका कुछ हिस्सा एजेन्सी और नैतिक खतरे की अनूठी (और गंभीर) समस्या को जाता है जो एनपीए का निवारण नहीं करने से हुई, जबकि अधिकांश बैंकिंग क्षेत्र सरकारी स्वामित्व में था।

8. इसी विफलता को सुधारने के लिए रिज़र्व बैंक को सांविधिक समर्थन को जरूरी समझा गया ताकि मामलों को आईबीसी के तहत भेजा जा सकें। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 में रिजर्व बैंक को शक्ति दी गई है कि वह आईबीसी के प्रावधानों के तहत चूक के मामले में बैंकिंग कम्पनियों को ऋण-शोधन निवारण प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निदेश जारी कर सकता है। इसके जरिए बैंक को यह सक्षमता भी दी गई है कि दबावग्रस्त आस्तियों के सम्बन्ध में निदेश जारी करे और दबावग्रस्त आस्तियों के निवारण के बारे में बैंकिंग कंपनियों को सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों या ऐसी समितियों को निर्दिष्ट करे जिनके लिए रिज़र्व बैंक ही सदस्यों की नियुक्ति करे अथवा नियुक्ति हेतु अनुमोदन करे।

रिजर्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई

9. इस अध्यादेश के ऐलान के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने आईबीसी के तहत निवारण हेतु संदर्भित किए जाने वाली लेखाबहियों का एक सेट निर्धारित किया,जो आंतरिक परामर्शदाता समिति JAC की सिफारिशों,पर आधारित है। प्रतिष्ठानों की शिनाख्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया आर्थिक मूल्यों की शीघ्रतम वसूली के उद्देश्य के अनुरूप रही। आईएसी द्वारा सिफारिश किए गए वर्गीकरण मानदंडों का आधार एक बोधगम्य पृथकता (एनपीए की मात्रा,अहमियत और साथ ही अवस्था) था और इनका आईबीसी के निहित प्रयोजनों तथा इस अध्यादेश के साथ निकट संबंध है।

10. हालांकि इस बात पर भी अवश्य जोर दिया जाना चाहिए कि आईबीसी के तहत ऋण-शोधन अक्षमता प्रक्रिया में भेजने जाने का अनिर्वाय रूप से यह मतलब नहीं है कि कम्पनी का समापन हो रहा है। इसमें तो बस एक समय सीमा बताई जाती है जिसके भीतर सभी हिस्सेदारों को मिलकर एक व्यावहारिक निवारण योजना बतानी होगी जिसका अनुमोदन ऋण दाताओं की समिति की कम-से-कम 75 प्रतिशत द्वारा किया जाए; यदि यह प्रयास विफल हो केवल तभी कम्पनी का समापन किया जाएगा।

II. विकासमान विनियामक विधान

11. रिज़र्व बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि पर्यवेक्षक और विनियामक विधानों को प्रबल बनाया जाए ताकि आरंभिक दबाव को समय रहते समझा और प्रकट किया जा सके जिससे प्रभावी और सार्थक निवारण में सुविधा हो।

12. एकतौर पर कहें तो अप्रैल 2015 से ऋणों और अग्रिमों का नवीनीकरण करने पर आस्ति वर्गीकरण के बारे में विनियामक सहनीयता को दूर करने का निर्णय विनियामक मानदंडों को अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटी के साथ संयोजित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था।

13. सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादक आस्तियों के सकल स्टॉक को स्वीकार करने के लिए सन 2015-16 में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम था- यह एक प्रकार का ''कैच अप'' था। दबावग्रस्त आस्तियों के समन्वित निवारण हेतु एक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कई उपायों की एक श्रृंखला तैयार की गई। इसके अलावा समस्याग्रस्त आस्तियों का निपटारा करने के लिए प्रभावी निवारण विधान नहीं होने के कारण अतिरिक्त युक्तियाँ भी शुरू की गयीं। इन युक्तियों ने प्राथमिक तौर पर क्रेडिट सुविधाओं के सर्वोत्तम नवीनीकरण,स्वामित्व/प्रबंधन को बदलने की क्षमता और दबावग्रस्त आस्तियों के नवीनीकरण में सहायता पहुँचाई। बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री में अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक विधान तैयार किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बिक्री बाजार निर्धारित कीमतों पर हुई है।

14. यदि बैंकों द्वारा कुछ ट्रिगर बिन्दुओं का उल्लंघन किया जाता है तो रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की प्रणाली के तहत विशिष्ट विनियामक कार्रवाई की जाती है, अभी हाल ही में इस प्रणाली में संशोधन कर दिया गया है।नियम आधारित दृष्टिकोण के अनुसरण में समस्याग्रस्त बैंकों के मामले में यह प्रणाली सामयिक पर्यवेक्षी कार्रवाई को सुनिश्चित करती है। पीसीए का प्रयोजन और डिजाइन ऐसा है कि बैंक की आधारभूत नीतियों को प्रबल करते हुए विश्वास को पुख्ता किया जाए।

15. बैंकों में मूल्यांकन से लेकर मंजूरी तक क्रेडिट का जो कमजोर अनुशासन है, वह दबावग्रस्त आस्तियों के निर्माण का ऐसा घटक है जो बैंकों से ही सम्बद्ध है। रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से इनमें से कुछ जोखिमों को दिखाया जाता है, जिन्हें संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर निदान के लिए लिया जाता है। तथापि, खास-खास उल्लंघनों/अतिक्रमणों के बारे में प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के प्रयोजन से अलहदा से प्रवर्तन विभाग स्थापित किया गया है। कानून,नियमावली और निदेशों के उल्लंघनों से निपटने के लिए नियम आधारित समसमान विधान तैयार करना इस विभाग के लिए अनिवार्यता है। इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से प्रवर्तित प्रभावी निषेधों से यह प्रत्याशा है कि सम्यक क्रेडिट संस्कृति को प्रबल बनाने में योगदान मिलेगा।

16. बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों (AFI) में यह सामान्यता पाया गया कि एनपीए और बैंकों द्वारा घोषित प्रावधानों तथा AFI प्रक्रिया के दौरान किए गए आकलन में भिन्नता है। खाता बहियों,प्रबंधन की प्रभाविकता की विश्वसनीयता और पारदर्शिता, वास्तविक जोखिम के सामयिक आकलन, आदि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तदनुसार इस असम्बद्धता को दूर करने के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं की व्यवस्था की गई है अर्थात् एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाने पर इस प्रकार के विभेदों का विवरण बैंकों को अपने वार्षिक लेखा में देना होगा।

17. हाल ही में सेबी ने एक निर्णय लिया है,जिसमें सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षित है कि वे अन्य तथ्यों के साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋणों के बारे में एक कार्यदिवस के भीतर भी हुई चूक को प्रकट करें; यह भी क्रेडिट संस्कृति में व्यापक अन्तर ला सकता है। यदि मेरा समझना सही है तो बैंक के कर्जदारों द्वारा की गई एक दिन की इस चूक का परिणाम यह होगा कि कर्जदार प्रतिष्ठान को दिए गए सभी बैंक-ऋणों को रेटिंग एजेंसियों द्वारा सामान्यतया ''चूक'' के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा और इसके साथ ऐसे जोखिमों पर अधिभार के निहितार्थ और बैंकिंग प्रणाली द्वारा पूँजी अपेक्षाएँ भी जुड़ जाती हैं। ''''

III. संस्थागत उपाय बड़े ऋणों पर जानकारी का केन्द्रीय संग्रह (सीआरआईएलसी)

18. रिज़र्व बैंक ने सन 2014 में सीआरआईएलसी की स्थापना करके प्रणाली स्तर पर एनपीए के बारे में जानकारी की विसंगति दूर करने में एक महत्वपूर्ण अंतराल को भर दिया,इसमें संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में सभी कर्जदारों की क्रेडिट एक्सपोजर संबंधी आंकड़ों के संकलन की सुविधा है, कर्जदारों का और बैंक-दर-बैंक जोखिम का सकल दृष्टिकोण मिलकर पर्यवेक्षकों और साथ-ही-साथ उधारदाताओं के लिए अपेक्षित युक्तियाँ प्रदान कर देता है जो किसी खाते-विशेष में आरंभिक दबाव को समय रहते ट्रैक कर सके। वस्तुत: सीआरआईएलसी के बिना यह AQR संभव नहीं हुआ होता।

संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) व्यवस्था

19. बड़े व्यापार संघों के खातों में समन्वय की समस्याओं को निपटाने के प्रयोजन से जनवरी 2014 में अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को अनुप्रमाणित करने के लिए विधान में जेएलएफ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इस विधान की मुख्य समस्याओं में एक खास समस्या यह भी थी कि क्रेडिटर की प्रत्याशाएँ बहुत से मामलों में नवीनीकरण प्रक्रिया में घट रही थी। दूसरे शब्दो में कहें तो अर्थशास्त्री जिसे पाइवोटल वोटिंग के कारण अन्तर्निहित एजेंसी व प्रोत्साहन विफलता कहते हैं, इसी ने जेएलएफ को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से वंचित रखा।

20. इनमें से कुछ समस्याओं का निपटारा मई 2017 में इस अध्यादेश के पारित होने के तत्काल बाद में किया गया। किसी प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अपेक्षित सहमति मानदंड को मूल्य के अनुसार पहले के 75 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत कर दिया गया। जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार जो बैंक अल्पसंख्या में थे उनसे अपेक्षित था कि या तो निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन नियमों का अनुसरण करते हुए निकल जाएँ या फिर जेएलएफ के निर्णय का पालन करें; अब ''क्रेम डाउन'' व्यावहारिक है। सहभागी बैंकों के लिए यह

अनिवार्य किया गया कि वे बिना कोई अतिरिक्त शर्त लगाते हुए जेएलएफ के निर्णयों को लागू करें। बैंकों के बोर्डों को यह भी सूचित किया गया कि वे जेएलएफ के निर्णयों को क्रियान्वित करें और मामला दुबारा उनके पास नहीं भिजवाएँ। ऋणदाताओं के बीच समन्वय संबंधी समस्याओं को कम करने के प्रयोजन से निर्धारित इन अनुदेशों में आईबीसी के कार्यक्षेत्र से बाहर रहते हुए दबावग्रस्त आस्तियों का निवारण करने का प्रयास किया गया,जिससे यह आशा बनती है कि ऋणदाताओं के बीच तेजी से निर्णय लिए जाएंगे।

निगरानी समिति

21. निगरानी समिति (ओसी) की भूमिका को प्रबल बनाने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने इस अध्यादेश की धारा 35 एबी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओसी को अपने तत्वाधान में लिया और इसकी सदस्यता को बढ़ाया ताकि आईबीसी से बाहर रहते हुए भी बैकों द्वारा अपनाई जा रही नवीनीकरण प्रक्रिया की समीक्षा की जा सके। ओसी के कानून सम्मत प्राधिकार को प्रबल बनाने के लिए यह जरुरी भी है,ताकि प्रक्रियाओं की समीक्षा हो सके और ऋणदाताओं को अपेक्षित सहजता प्रदान की जा सके,खासकर सरकारी क्षेत्र के बैकों को, जिससे कि नवीनीकरण के एक हिस्से के तौर पर बाजार द्वारा निर्धारित हेयरकट के साथ सहमति बनाएँ।

IV. राजकोषीय आयाम

22. निवारण के जिन सभी प्रयासों का हमने वर्णन किया है उनकी सफलता और विश्वसनीयता काफी महत्वपूर्ण रूप से इन लागतों को सहन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों की प्रबलता के समानुरूप रहेगी। यह बात साफ़ है कि आईबीसी के दायरे में रहते हुए या इससे बाहर किसी भी निवारण योजना पर सहमति देने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्तमान में फंसे अपने कर्जों पर हेयरकट तो लेने ही पडेंगे। इस वजह से और अन्य घटकों के लिए भी उच्चतर प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के कारण बहुत से बैंकों की पूँजी की स्थिति प्रभावित होगी। इसके लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उच्चतर पुनर्पूंजीकरण की जरूरत पड़ेगी। सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच उपायों का एक पैकेज बनाने के लेकर संवाद चल रहा है, ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समयबद्ध रीति से अपेक्षित पूँजी जुटाने के लिए सक्षम किया जा सके। इन उपायों में बाजार से पूँजी जुटाना; सरकारी धारिताओं को कम करना; सरकार द्वारा अतिरिक्त पूँजी दिया जाना; रणनीतिगत फिट पर आधारित समामेलन; गैर-महत्वपूर्ण आस्तियों की बिक्री;आदि शामिल किए जा सकते हैं।

V. निष्कर्ष और आगामी पथ

23. अभी जिस बहुआयामी दृष्टिकोण की रूपरेखा बताई गई है, वह एक सतत प्रक्रिया है। आरंभिक संकेत काफी उत्साहजनक हैं। हालांकि हम सभी को यह समझना ही होगा कि अभिप्रेत उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने से पहले यह एक लम्बी खींचतान है। आरंभ में कुछ अड़चने और बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ-साथ इनका भी निवारण हो जाएगा। आईबीसी की प्रक्रिया स्वयं ही विकसित होती जाएगी क्योंकि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण/ राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय अधिकरण के निर्णय भी सामने आ चुके होंगे।

24. अन्य गैर-निष्पादक खातों के लिए अपनाई जानेवाली क्रियाविधि की रचना की जा रही है। हालांकि हमें अवश्य यह जोर देना चाहिए कि धारा 35 एए और 35 एबी के तहत प्रदत्त शक्तियों का रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जाना नियमित,सुस्थिर स्थिति का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। ऋणदाताओं को आईबीसी के तहत पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं कि चूक होने पर वे आवश्यक कार्रवाई करें। अब यह सभी ऋणदाताओं का दायित्व है कि वे अपनी तरफ से पूर्व सक्रियता दिखाते हुए,आईबीसी के तहत सामयिक रूप से मामले भेजें और इन शक्तियों का प्रभावी प्रयोग करें।

25. यहाँ तक कि आईबीसी के तहत भी क्रेडिटर्स समिति पर भी भारी जिम्मेदारी डाली गई है कि स्वीकार्य समय सीमा के भीतर प्रत्येक स्वीकृत मामले में व्यावहारिक नवीनीकरण योजना के लिए सहमति दी जाए। क्रेडिटर,खासकर बैंकों के लिए जरूरी होगा कि इन मामलों पर फोकस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन लगाएं और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाएँ क्योंकि मामलों की संख्या बढ़ने वाली है।

26. सारांश तौर पर सरकार और नियामकों की भावना और निवारण पर मैं फिर से जोर देना चाहूँगा कि वे प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या पर एकजुट होकर ध्यान दे रहे हैं। इससे होनेवाली व्यथा और खर्च तो हमें उठाने ही होंगे लेकिन यदि हमारा ध्येय वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह उचित ही होगा, ताकि निजी अर्थव्यवस्था को संरचनागत रूप से सुस्थिर संवृद्धि के मार्ग पर लाया जा सके।